

राजस्थान सरकार



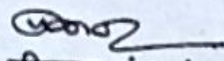
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....१४०/जैसल/२०२२-२०२३...

यह प्रमाणित किया जाता है कि जैसाण कादरी गोपाल
गो सेवा संस्थान, जैसलमेर जिला जैसलमेर का
राजस्थान सस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम
संख्या २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक.....१९.....माह.....दिसम्बर.....सन् दो हजार.....को
जैसलमेर में दिया गया ।




रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर

पंजीयन प्रमाणिका 751/06
दिनांक 20-4-2006
विरपेय न
दिनांक

प्रपत्र (फार्म) संख्या - 7
राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-8)
पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएं राजस्थान, जयपुर
श्री जैसाण कादरी गोपाल गोशाला संस्थान

भागु का गाँव तहसील जैसलमेर
जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री सुमार स्था आदम न्यासी (दस्ती) गोशाला
श्री जैसाण कादरी गोपाल गोशाला संस्थान ने राजस्थान गोशाला
अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 रा. 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के
पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं यदि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के
परचात मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा
आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के
अनुरारण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्ट्रार) करली गई है।

आज दिनांक 20-4 माह अप्रैल वर्ष क्रिस्ताब्द ६



उपनिर्देशक, पंजीयन
पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवं उपनिर्देशक
गोशाला, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान स्टेट गोशाला रजिस्ट्रार, जयपुर
(राजस्थान गोशाला अधिनियम 1960 की धारा 3 के अन्तर्गत अधिकाधिक)
सी-120/121, गोशाला भवन, कृष्ण नगर, जयपुर-15 फोन : 2706261